न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 021/2021

1. दौलतराम } पिसरान श्रवणसम जाति भाट साकिन 33 एलएलडब्लयू
2. रूपराम } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र फकीराराम } जाति भाट
2. रोशन पुत्र पृथ्वीराज } साकिन 33 एलएलडब्ल्यू
3. विनोद पुत्र पृथ्वीराज } तहसील पीलीबंगा
4. राकेश पुत्र सौदाराम } जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
6. शाखा प्रबन्धक ओबीसी बैंक शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा –– प्रार्थीगण
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई –– अप्रार्थी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी सं.5

–:: निर्णय :–

दिनांकः–30-12-24

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हे। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न प्रकार से है–यह कि उक्त अनवान वाद पत्र धारा 53 राकाअधि के तहत माननीय न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से सयुक्त खाता की खातेदारी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 35 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 87 के प.नं. 24/235 किला नं. 16/.1265, 19, 21, 22, 25/.1265 की 1.012 हैक., प.नं. 25/235 किला नं. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 19 ता 22, 23/.1265, 25 की 3.4155 हैक. प. नं. 26/236 किला नं. 1, 2 की 0.506 हैक. इस प्रकार कुल 4.9335 हैक. अनकमाँड [illegible] में प्रार्थी सं.1 की 2.327 हैक. व प्रार्थी सं.2 की 1.696 हैक. भूमि दर्ज रिकार्ड वाके है। [illegible] जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा [illegible] में प्रार्थीगण के पिता श्री [illegible]मार पुत्र मोहबल के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड था । प्रा[illegible]ण के पिता श्रवण कुमा[illegible]पने जीवनकाल में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के हक में प्रशनगत रकबा की वसीयत की। जिनके देहान्त के पश्चात उक्त रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम से मुताबिक वसीयत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रशनगत रकबा सयुक्त खाता का रकबा है जिसका अर्सा समय पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के मध्य मुताबिक हक व हिस्सा अनुसार अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घराघरू बंटवारा हुआ जिसमें प्रार्थीगण को निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

प्रार्थी सं.1 दौलतराम को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि चक 35 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 26/236 किला नं. 1, 2 की 0.506 हैक., प.नं. 25/235 किला नं. 15/.190, 16, 21, 22, 23/.1265, 25 की 1.3285 हैक., प.नं. 24/235 किला नं. 21/.126, 22/.240, 25/1265 की 0.4925 हैक. कुल 2.327 हैक. अनकमांड खातेदारी ।

प्रार्थी सं. 2 रूपराम को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि –चक 35 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 24/235 किला नं. 16/.1265, 19, 21/.127, 22/.013 की 0.519 हैक., प.नं. 25/235 किला नं. 21.165, 31.126, 8/127, 13, 19, 20 की 1.177 हैक. कुल 1.696 हैक. अनकमांड खातेदारी ।

शेष कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को प्राप्त हुई है। यह कि प्रार्थीगण का कब्जा प्रार्थना पत्र की दफा 4 की उपदफा क, ख अनुसार घरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण नें अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में फसल काश्त की हुई है। उक्त वर्णित रकबा सांझा खाता का है जिस कारण पक्षकारान के मध्य सींव बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 4 की उपदफा क, ख अनुसार अपना खाता अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 से तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थीगण नें अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि को अपनी मेहनत व कमाई से समतल व उपजाऊ योग्य बनाया है। अब अप्रार्थीगण के मन में लालच पैदा हो गया है। अप्रार्थीगण अब प्रार्थीगण कब्जा काश्त की कृषि भूमि में आये दिन दखलंदाजी करते रहते है व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये औने पौने दामों में किसी अजनबी व्यक्ति को बेचने की फिराक में है व खुर्द बुर्द करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना असम्भव होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण उक्त सांझा खाता की कृ षि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 35 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 87 के प.नं. 24/235 किला नं. 16/.1265, 19, 21, 22, 25/.1265 की 1.012 हैक., प.नं. 25/235 किला नं. 3, 8, 13, 15, 16, 19 ता 22, 23/.1265, 25 की 3.4155 हैक. प.नं. 26/236 किला नं. 1, 2 की 0.506 हैक. इस प्रकार कुल 4.9335 हैक. अनकमांड खातेदारी कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई एवं प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंन्धित किया गया कि चक 35 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 87 के प.नं. 24/235 किला नं. 16/.1265, 19, 21, 22, 25/.1265 की 1.012 हैक., प.नं. 25/235 किला नं. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 19 ता 22, 23/.1265, 25 की 3.4155 हैक. प.नं. 26/236 किला नं. 1, 2 की 0.506 हैक. इस प्रकार कुल 4.9335 हैक. अनकमांड खातेदारी कृषि भूमि में रहन बैय नहीं करेगें।

अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा हाजिर होकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब वाद–पत्र निम्न प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है क्योकि उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी सं. 4 राकेश कुमार दावा में पक्षकार नही है। इसलिए प्रार्थीगण का 212 आर टी ए का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 4 के बाबत् कोई विवरण अंकित नही किया ह ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण के पिता श्रवणकुमार पुत्र मोहबल को दावा में वर्णित कृषि भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। क्योकि दावा मे एव वसीयत में वर्णित उक्त कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण को पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें उक्त श्रवणकुमार के द्वारा प्रार्थी नं. 1 को 2.327 व वादी नं. 2 को 1.696 हैक. कृषि भूमि की वसीयत करने का कानूनी अधिकार नही था क्योकि प्रार्थीगण दावा व श्रवणराम की वसीयत में वर्णित उक्त कृषि भूमि पूर्व में हम अप्रार्थीगण के परदादा के नाम थी हम अप्रार्थीगण के परदादा मोहबल पुत्र जसवन्त के नाम वाके तत्कालीन तहसील सुरतगढ़ के चक 35 एल एल डब्ल्यु के मुताबिक प्रमाआकंन भु–प्रबन्ध विभाग उक्त चक 35 एल एल डब्ल्यु के प.न. 26/235 (43) कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 व प.न. 25/235 (44) कि.न. 2 ता 8, 13 ता 25, व प.न. 24/235 (45) कि.न. 11 ता 13, 16 ता 25 व प.न. 26/236 (52) कि.न. 1 व 2 की कुल 11.385 हैक. कृषि भूमि गैर खातेदार थी जो दिनांक 29.10.75 को श्री मान ए आर ओ साहब के आदेश से खातेदारी हुई अवलोकनार्थ मुलप्रति प्रमाणाकंन के लिये पर्चा नोटिस सहित पेश है उक्त चक 35 एल एल डब्ल्यु की मोहबल वल्द जसवन्त के नाम की उक्त 11. 385 हैक. कृषि भूमि उक्त मोहबल की मृत्यु होने से दिनांक 28.11.78 का राजस्व अभियान में ए आर ओ के आदेश से श्रवण पुत्र मोहबल के नाम विरास्तन दर्ज हुई अवलोकनार्थ मुलप्रति प्रमाणांकन के लिये नोटिस सहित विरास्तन इन्तकाल आदेश पेश है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। क्योकि उक्त श्रवण के नाम की कृषि भूमि का उनके पांच पुत्रो को 5 भागो में बाटकर कब्जा काश्त चले आ रहे है। जिनमें अप्रार्थीगण सं. 1 अपने पिता के 1/5 हिस्सा पर अप्रार्थीगण 2 व 3 अपने पिता के 1/5 हिस्सा को ब.ही.ब, अप्रार्थी सं. 4 राकेश पुत्र सोदाराम अपने पिता के 1/5 हिस्सा पर कब्जा कास्त चले आ रहे है एवं इसी अनुसार ही घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश पाने के अधिकारी है। जबकि उक्त श्रवण पुत्र मोहबल ने [illegible] कथीत वसीयत करने की कभी भी इच्छा जाहिर नही की वसीयत में वर्णि[illegible] की इच्छा के विरूद्ध तोड मोडकर लिखे जाकर यह निष्पादि[illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी को 5 भागो में वि[illegible] 5. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट[illegible]मामला व सुविधा का सन्तुलन नही है।व अप्रीमय क्षति भी हम अप्रार्थीगण को अधिक है।

यह कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित चक 35 एल एल डब्ल्यु सयुक्त खाता की कृषि भूमि में जिसके सभी सयुक्त खातेदारान को दावा में पक्षकार नही बनाया गया है। के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा बहस में कथन किया गया कि वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है प्रार्थना पत्र दावा अन्तिम डिक्री तक प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दावा अनवरत किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 3 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है वर्तमान में दावा प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। अन्तिम डिक्री जारी किये जाने से तक पूर्व में जारी अस्थाई व्यादेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 10.08.2021 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा